बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञाप

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री इमदादुल हक, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोपालगंज सदर(निलम्बित) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी-सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) के पत्रांक 307 दिनांक 06.04.2013 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध करया गया है । प्रपत्र 'क' में श्री हक के विरूद्ध पंचायत आम चुनाव 2011 के दौरान ग्राम पंचायत राज कोन्वहा के बुथ संख्या 92 का मतपत्र गायब करने का आरोप प्रतिवेदित है । अतः जिला पदाधिकारी-सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) द्वारा प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है ।

2. श्री हक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हेतु संयुक्त आयुक्त विभागीय जाँच सारण प्रमण्डल सारण को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

3. संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि आरोपी पदाधिकारी को आरोप प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति अपने स्तर से तामिला कराकर तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूरी कर जाँच प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देगें ।

4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोपालगंज को साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. आरोपी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आरोप पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपना बचाव पक्ष संचालन पदाधिकारी को अवश्य समर्पित कर देगें ।

24/4/2013
(सुरेश ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र08गो0वि0गोपालगंज-16/2013 2659 /खाद्य,पटना/दिनांक 24/4/2013

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/ संयुक्त आयुक्त विभागीय जाँच सारण प्रमण्डल सारण -सह- संचालन पदाधिकारी, सारण, छपरा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोपालगंज-सह- साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी, गोपालगंज/प्रशाखा पदाधिकारी-3 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/श्री अफजल आजमी, आई0टी0 मैनेजर/ श्री इमदादुल हक, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी(निलम्बित) गोपालगंज सदर सम्प्रति निलम्बन अवधि में जिला आपूर्ति कार्यालय, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/4/2013
सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\backup\Year_2012(p)\section_8(P)(Nov_11)\Off_ord..doc